-:न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
308/2013	27.06.2013	03.07.2019

बइजलास– चिमनलाल मीणा, (आर.ए.एस.)

–:: उनवान::–

1. हारून रसीद पुत्र अब्दुल रसीदखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
2. अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल रसीदखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
3. आरिफ रसीद पुत्र अब्दुल रसीदखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
4. अब्दुल कययूम पुत्र अब्दुल रसीदखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
5. उल्फत बैगम बेवा अब्दुल रसीदखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0(नाम डिलीट)

(प्रार्थीगण)

–:: बनाम ::–

1. सुनीता सेनी पत्नी हरिप्रकाश सोनी जाति स्वर्णकार निवासियॉ बाजार नम्बर 2 रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थित अधिवक्त

1. श्री श्यामबिहारी माहेश्वरी :– वकील प्रार्थीगण
2. श्री हरिप्रकाश सोनी :– वकील प्रतिपक्षी नम्बर 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि,

प्राथीगण की दादी श्रीमती हूराबाई पत्नी पीरू मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खैराबाद के खाते व कब्जे काश्त में ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी में अन्य आराजियात के साथ खसरा नम्बर 2881/2047 की 12 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित रही है।

03/7/19

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

चाहा है, जो पूर्व निर्णय के पक्षकारों अथवा उनके वारिसान का क्रमशः

Scanned by CamScanner

हूराबाई की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र नूर मोहम्मद व अब्दुल रसीद के नाम समस्त आराजियात दर्ज हुई। दोनों पुत्रों के आपसी विभाजन में प्रार्थीगण के पिता को अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 2881/2407 की 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई, जिस पर जीवनपर्यान्त प्रार्थीगण के पिता का कब्जा रहा। प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी पर सिंचाई की सुविधा के लिये कुआ बनवाया था।

उक्त आराजी का पश्चिम भुजा का नाम 33 गटठे , उत्तरी का 81 गटठै , दक्षिणी का 101 गटठै , है राजस्व दस्तावेज संलग्न है।

उक्त आराजी के पूर्व –सड़क खैराबाद से उण्डवा रोड़ पर मिला हुआ बाईपास , पश्चिम में कृर्षि भूमि हबीब भाई , उत्तर– माणकचंद सुनार का खेत ,आदि है।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 की भूमियॉ आपस में कभी भी मिली हुई नहीं रही है। मोके की स्थिति के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा तैयार किया गया नक्शा संलग्न है। यह कि पहले भी राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज कर दिये जाने से प्रार्थीगण के पिता की उक्त भूमि जिसके खसरा नम्बर 2881/2047 के स्थान पर 2320 बना दिये , उसका रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 8 बीघा 18 बिस्वा अंकित कर दिया था इस गलती को प्रार्थीगण के पिता एवं उनके भाई नूर मोहम्मद दोनों ने संयुक्तरूप से कार्यवाही की जिसमें माननीय न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा दिनॉक 14.02.1963 को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निर्णय पारित कर दिया। नकल फैसला संलग्न है।

यह कि वर्तमान सेटलमेंन्ट में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2881/2047 , खसरा नम्बर 2320, के नये नम्बर 2809 कायम किये।

यह कि राजस्व कर्मचारियों ने माननीय न्यायालय के निर्णय दिनॉक 14.02.193 की अनुपालना में खसरा नम्बर 2320 का रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा के स्थान पर दुरूस्त कर 12 बीघा 2 बिस्वा किया जाना था किन्तु आदेश की पालना नहीं की गई जबकि मौके पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर ही चला आ रहा है। वर्तमान सेटलमेंन्ट में भी पुराने खसरा नम्बर 2320 का रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा दर्ज होने से उसी अनुसार सेटलमेंन्ट के बाद कायम किये गये नये नम्बर 2809 का रकबा 1.44 हैक्टर दर्ज

Scanned by CamScanner

कर दिया, जबकि खसरा नम्बर 2809 की भूमि 1.96 हैक्टर दर्ज किया जाना चाहिये था। उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्त किया जाना चाहिये था।

यह कि वर्तमान सेटलमेंन्ट खसरा नम्बर 2809 एवं सड़क के मध्य में पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 2810 एवं खसरा नम्बर 2811 नम्बर कायम कर दिये गये । खसरा नम्बर 2810 चाह को अप्रार्थी कम 1 कें खाते में खसरा नम्बर 2811 को भी अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते में दर्शा दिया गया है ,जबकि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2809 एवं सड़क के मध्य अप्रार्थी कम 1 की कोई भूमि नहीं है। अप्रार्थी कम 1 की आराजी असिंचित है चाह स्थित नहीं है। सेटलमेंन्ट विभाग की गलती से प्रार्थीगण की भूमि एवं सड़क के मध्य जो खसरा नम्बर 2810 व 2811 की भूमि कायम की है वह मौके की स्थिति से विपरीत है, जिसे भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्य कथन कर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि, प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि माल खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी स्थित जिसके पूराने खसरा नम्बर 2881/2047 जिसका रकबा 12 बीघा 2 विस्वा स्थित रहा है के स्थान पर गत खसरा नम्बर 2320काम कर रकबा 8 बीघा 18 विस्वा कर दियागया है उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने के लिये माननी न्यायालय द्वारा दिनॉक 14.02.1963 को इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश पारित किया था किन्तु त्रुटि दूर नहीं हुई और उक्त खसरे के लिये बाद सेटलमेंन्ट खसरा नम्बर 2809 रकबा 1.44 हैक्टर दर्ज किया गया जिसे दुरूस्त कर 1.96 हैक्टर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। तथा खसरा नम्बर 2809 एवं सड़क के मध्य में पूर्व दिशा में कायम खसरा नम्बर 2810 एवं 2811 जो प्रतिवादी कम 1 के खाते वर्तमान में दर्ज है को राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज दर्शाया गया है को दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें। उक्त नक्शा ट्रेस में इन्द्राज ख0न0 2810, एवं 2811 का सम्पूर्ण हिस्सा ख0न0 2809 का दर्शाया जाने की दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित करें।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ

1. नकल जमावन्दी भू0प्रवंध ग्राम खैराबाद 2004–24 खाता नम्बर 13
2. नकल जमावन्दी भू0प्रवंध ग्राम खैराबाद 2004–24 खाता नम्बर 796
3. नकल फर्द मिलान ग्राम खैराबाद 2004–24
4. स्वरचित नक्शा मोका
5. छायाप्रति नकल नक्शा ग्राम खैराबाद सन्2001–02
6. छायाप्रति नकल जमाबन्दी ग्राम खैराबाद 2012–13 खाता नम्बर 368

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

7. छायाप्रति नकल फैसला दिनॉक 14.02.1963 मि0न0 30 सन् 1962 द्वारा परगना अधिकारी रामगंजमण्डी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी नम्बर 1 की और से श्री हरिप्रकाश सोनी विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 द्वारा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय प्रथक से किया जाकर प्रार्थी/ प्रतिपक्षी नम्बर 1 पर 1000/– रूपये कॉस्ट आयत की गई।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी नम्बर 1 में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्वीकार किया गया तथा विशेष आपत्तियॉ अंकित कर निवेदन किया कि, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं अप्रार्थी कम 1 का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी नम्बर 2 स्वीकार कर अप्रार्थी नम्बर 1 के खातेदारी की ग्राम खैराबाद स्थित आराजी रकबा 14 बीघा का त्रुटिवश दर्ज वर्तमान रकबा 2.26 हैक्टर अर्थात 13 बीघा 19 बिस्वा के बजाया 2.27 हैक्टर याने कुल 14 बीघा आराजी दर्ज की जावे।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मोका कमिश्नर रिपोर्ट ली जाकर रिपोर्ट शामिल मिसल की गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण वर्णित भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय सिविल जज (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय रामगंजमण्डी में एक वाद मिसल नम्बर 46/2016 घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है।

पक्षकारान् को अपने – अपने साक्ष्यादि का अवसर दिया जाकर बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने तर्को के समर्थन में माननीय न्यायालयों के दृष्टान्त प्रस्तुत किये तदुपरान्त लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

(1) आर0आर0डी02008 पेज 36 (2) आर0आर0डी02008 पेज 40 (3) ए0आई0आर0 1937 पेज 69 (4) आर0आर0डी02015 पेज 130 ,135 व 136 (5) आर0आर0डी01990 पेज 460,441(6) आर0आर0डी02010 पेज 14(4) आर0आर0डी01989 पेज 59

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

8 का अंतिम लाइन में ...
... पूर्व निर्णय के पक्षकारों अथवा उनके वारीसान को ... क्रमश:

-:न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी:-

बद बहस हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्राथीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य , वॉच्छित अनुतोषादि , जवाब अप्रार्थीगण , मोका कमिश्नर रिपोर्ट तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर भली भॉति मनन किया गया। माननीय न्यायालयों के दृष्टान्तो का सम्मान सहित अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पानगी बाबत विचार किया।

जहॉ तक प्रार्थीगण के इस कथन कि , पूर्व सेटलमेंन्ट की अपेक्षा उनकी भूमि का रकबा कम हो गया है वह सही है क्योकि हूराबाई के खाते में दर्ज आराजी नम्बर 2881/2047 का रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा था तथा वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 1.44 हैक्टर ही है।

प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा कोई कार्यवाही बाबत इन्द्राज दुरूस्ती की गई थी ऐसा अवगत कराया गया है जिसके परिणामस्वरूप निर्णय दिनॉक 14.02.1963 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का रिकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा नकल निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की है। उक्त प्रमाण मात्र मल प्रति की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति मात्र है जिसे साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त पक्षकारों के मध्य पूर्व में कोई वाद चला जिसका अमुख निर्णय पारित किया गया था , वैसे भी पूर्व निर्णय की पालना राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत नहीं करवाई जा सकती। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व बन्दोबस्त का मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि पूर्व खसरा नम्बर 2881/2047 का बाद बन्दोबस्त कौनसा खसरा नम्बर बना तथ खसरा नम्बर 2320 किस प्रकार किसी अन्य खातेदारान् के खाते में दर्ज कर दी गई। इस प्रकार साक्ष्याभाव में मात्र कथनाधार पर कुछ भी तय यिा जाना उचित नहीं है।

प्रकरण में प्रकरण वर्णित भूमि जिसे प्रार्थीगण प्रतिपक्ष के खाते से हटवाकर अपने नाम पर दर्ज करवाना चाहते है वह उक्त प्रकरण में हितबद्व पक्षकार है तथा धारा 136 के प्रावधानों के तहत उनकी स्वीकृति आवश्यक है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जैसा कि

05/07/14

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

-:न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ...

"भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें"

प्रार्थीगण की खातेदारी का रकबा सन् 1963 के मुकाबले कम दर्ज किया गया है यह प्रार्थीगण के मौखिक और लिखित कथन है किन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही साथ प्रार्थीगण द्वारा यह भी सावित नहीं किया है कि उनका पूर्व की अपेक्षा कम हुआ रकबा किस आराजी या किन आराजियात में समाहित कर दिया गया है।

प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा इस प्रकार की त्रुटि नहीं की है कि जिसे इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से उसे उसके द्वारा वॉच्छितरूप में दी जा सके। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू०राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण चाहे तो विधिअनुसार वॉच्छित रिलीफ बावत सक्षम न्यायालय में विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के तथा नियमों के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वॉच्छित रिलीफ १३६ एलआरएक्ट के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली वाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर पृविष्ट लेख भण्डार हो ।

03/07/19

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 03/07/2019 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

03/07/19

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner